आदेश की क्रम सं0 और तारीख

(3)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id :- dccourt.grd@gmail.com)

अधिहरण वाद सं0–09/2017

राज्य–बनाम–सोनमनी मराण्डी

1	2	3

20.3.2020 अभिलेख उपस्थापित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 2862/आ0, दिनांक 21.08.2017 के द्वारा पणन पदाधिकारी, देवरी के पत्रांक 70 दिनांक 07.06.2017 के आलोक में भेलवाघाटी थाना काण्ड सं0 17/2017 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा–07 के अंतर्गत बिना नं0 के टैम्पू पर लदे 6 बोरा चावल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (A) के तहत् अधिहरण वाद चलाने की अनुशंसा की गई है।

वाद की विवरणीः–

दिनांक 05.06.2017 को गुनीआथर पंचायत ग्राम कारीझाल के ग्रामीणों ने 6 बोरा सील्ड F.C.I के चावल के बोरी को एवन स्वयं सहायता समूह अनु0 सं0 41/2009 को बिना नम्बर के टैम्पू पर रखकर कालाबाजारी में बेचने के उद्देश्य से पकड़ा गया था। जप्त चावल एवं टैम्पू को भेलवाघाटी थाना लाया गया। उक्त समूह के सचिव सोनमनी मराण्डी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गई एवं जप्त उक्त 6 बोरे चावल को नजदीकी ज0 वि0 प्र0 विक्रेता बलदेव प्रसाद यादव अनु0 सं0 12/85 को जिम्मेनामा पर सौंप दिया गया। तदनुसार अधिहरण प्रस्ताव समर्पित किया गया है। तदनुसार अधिहरण प्रस्ताव समर्पित है।

वाद को स्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 बी के अंतर्गत संबंधित पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का अभिकथन हैः–

1. That the aforesaid confiscation proceeding as against the o.party sonamuni Marandi is not maintainable either in law or in the fact and circumstances of the case hence the same is fit to be dropped against her.
2. That, o.party is secretary of "Avon Self Help Group" and the said SHG runs a P.D.S. shop vide licence no. 41/09 at village Karijhal within Guniathar panchayat Deori Block.
3. That, president of the said S.H.G. is Manshali Soren and the said P.D.S. was smoothly being run by the group as per the norms and rules of Govt. Since the year 2009 having no any sort of the complaint from consumers.
4. That, O.party has been falsely implicated in this case merely on a rumour to this effect that the sized rice is being carried from the P.D.S. shop of O.party in view fact that I.O. of the case soon after the raid sealed the shop of O.party and verified the

stock as per the stock register and was found correct so it obvious that the said seized rice is not the rice of the shop of o.party as such this answering o.party had, have got no concern at all with the said three quintals of rice which is the subject matter of theis confiscation proceeding.

5. That, it also submitted that there was never any sort of complainant made by its consumers to this effect that the food grains or articles allotted to this P.D.S. shop are/were not being distributed to consumers on or before the alleged date and time of occurrence.
6. That, merely pendency of a case u/s 7 E.C. Act the licence of o.party was suspended since the year 2017.

पणन पदाधिकारी, देवरी के पत्रांक 70 दिनांक 07.06.17 में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:—

1. दिनांक 05.06.2017 को गुनीआथर पंचायत ग्राम–कारीझाल के ग्रामीणों ने 6 बोरा सील्ड F.C.I. के चावल के बोरी को एवन स्वयं सहायता समूह ला0 नं0 41/09 को बिना नम्बर के टेम्पू पर रख कर कालाबाजारी में बेचने के लिए ले जाते पकड़ा था। टेम्पू चालक भाग गया एवं टेम्पू पर कोई व्यक्ति नहीं था।
2. ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी के साथ 03.45 अपराह्न में टेम्पू एवं चावल को जप्त कर भेलवाघाटी थाना में उक्त समूह के सचिव सोनमनी मराण्डी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 एवं सुसंगत धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
3. जप्त 6 बोरा चावल को नजदीकी ज0वि0प्र0 विक्रेता बलदेव यादव अनु0 सं0 13/85 को जिम्मानामा पर सौंप दिया गया।

विचारण एवं निर्णय

1. पणन पदाधिकारी के पत्रांक 70 दिनांक 07.06.17 के अनुसार कथित 6 बोरा बोरा सील्ड F.C.I चावल लदे बिना नंबर के टेम्पू को पकड़ते समय एवन स्वयं सहायता समूह के सचिव, अध्यक्ष या सदस्य उपस्थित नहीं थे।
2. सहायक लोक अभियोजक,गिरिडीह के द्वारा स्पष्ट किया गया कि दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उक्त चावल को जप्त किया गया था।
3. उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता के भंडार सत्यापन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
4. ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी के साथ 03:45 अपराह्न में टेम्पू एवं चावल को जप्त कर भेलवाघाटी थाना में उक्त समूह के सचिव सोनमनी मराण्डी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 एवं सुसंगत धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दो स्वतंत्र गवाहों को छोड़कर अन्य ग्रामीणों का हस्ताक्षरा/अंगूठा का निशानयुक्त कोई कागजात संलग्न नहीं किया गया है।
5. पणन पदाधिकारी, देवरी के द्वारा समर्पित अधिहरण प्रस्ताव के साथ संलग्न कागजात के आधार पर यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है कि ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया चावल एवन स्वयं सहायता समूह ला0 नं0 41/09 का ही था। ऐसी परिस्थिति चावल को अधिहरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5

आदेश

प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता, सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह के पक्षों को सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 2862/आ0, दिनांक 21.08.2017 से प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव को समुचित साक्ष्य के अभाव में अस्वीकृत किया जाता है। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत कराया जाय। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।